सत्यमेव जयते	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 1, गुरुवार, शाके 1938–अप्रेल 21, 2016 Vaishakha 1, Thursday, Saka 1938-April 21, 2016	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 21, 2016

संख्या प. 2 (46) विधि/2/2015ः–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः–

साई तिरुपति विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 9)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में साई तिरुपति विश्वविद्यालय, उदयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

यतः, विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ–साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षणिक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है जिससे उन्हें विश्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से संगत बनाया जा सके;

और यतः, ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और मानव संसाधनों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं से यह आवश्यक हो गया है कि शैक्षणिक अनुसंधान और विकास की ऐसी संसाधनपूर्ण और त्वरित और उत्तरदायी प्रणाली सृजित की जाये जो एक आवश्यक विनियामक व्यवस्था के अधीन उद्यमितापूर्ण उत्साह से कार्य कर सके और ऐसी प्रणाली, उच्चतर शिक्षा में कार्यरत पर्याप्त संसाधन और अनुभव रखने वाली प्राइवेट संस्थाओं को विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए अनुज्ञात करने से और ऐसे विश्वविद्यालयों को ऐसे विनियामक उपबंधों से, जो ऐसी संस्थाओं के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करें, निगमित करने से सृजित की जा सकती हैं;

और यतः, ग्लोबल हैल्थ रिसर्च एण्ड मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट, उदयपुर, राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रार, सोसाइटीज, उदयपुर के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण सं. 27/उदयपुर/2000–1, दिनांक 30.5. 2000 पर रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है, जो शिक्षा के क्षेत्र में लगी हुई है और विगत कई वर्षों से शैक्षणिक संस्थाएं चला रही है;

और यतः, उक्त ग्लोबल हैल्थ रिसर्च एण्ड मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट, उदयपुर ने राजस्थान राज्य में ग्राम उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की शैक्षिक अवसंरचनाएं स्थापित कर ली हैं और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय में उक्त अवसंरचना का विनिधान करने के लिए सहमत हो गयी है और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि की स्थापना में उपयोजित किये जाने के लिए एक करोड़ रुपये की रकम भी जमा करा दी है;

और यतः, उपर्युक्त अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त समिति द्वारा कर ली गयी है जिसके सदस्य कुलपति, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा राजस्थान, जयपुर, प्राचार्य, रविन्द्र नाथ टैगोर चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर, संकायाध्यक्ष, तकनीकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर,. अध्यक्ष, फार्मेसी विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, प्राचार्य, महाराणा भूपाल नर्सिंग महाविद्यालय, उदयपुर और आचार्य एवं अध्यक्ष, मुख शल्य–चिकित्सा विभाग, राजकीय दन्त–चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर थे;

और यतः, यदि उपर्युक्त अवसंरचना का उपयोजन विश्वविद्यालय के रूप में निगमन में किया जाता है और उक्त ग्लोबल हैल्थ रिसर्च एण्ड मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट, उदयपुर को विश्वविद्यालय चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो इससे राज्य की जनता के शैक्षणिक विकास में योगदान होगा;

भारत गणराज्य के सडसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.– (1) इस अधिनियम का नाम साई तिरुपति विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. परिभाषाएं.– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अ.भा.त.शि.प." से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "वै.औ.अ.प." से केन्द्रीय सरकार की वित्तपोषण एजेन्सी–वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली अभिप्रेत है;

(ग) "दू.शि.प." से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 50) की धारा 28 के अधीन स्थापित दूरस्थ शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(घ) "दूरस्थ शिक्षा" से संचार अर्थात् प्रसारण, टेलीकॉस्टिंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किसी भी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गयी शिक्षा अभिप्रेत है;

(ङ) "वि.प्रौ.वि." से केन्द्रीय सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अभिप्रेत है;

(च) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय में कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं;

(छ) "फीस" से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से किया गया संग्रहण, जिसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है, जो प्रतिदेय नहीं है;

(ज) "सरकार" से राजस्थान की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(झ) "उच्चतर शिक्षा" से 10+2 स्तर से ऊपर ज्ञान के अध्ययन के लिए पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(ञ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं या केन्द्रों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में संधारित या मान्यताप्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

(ट) "भा.कृ.अ.प." से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अभिप्रेत है;

(ठ) "भा.आ.प." से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 102) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अभिप्रेत है;

(ड) "रा.नि.प्र.प." से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था–राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्, बंगलोर अभिप्रेत है;

(ढ) "रा.अ.शि.प." से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 73) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(ण) "निवेश बाह्य केन्द्र" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य निवेश के बाहर स्थापित उसका, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और संधारित कोई केन्द्र अभिप्रेत है जिसमें विश्वविद्यालय की पूरक सुविधाएं, संकाय और स्टाफ हो;

(त) "भा.भे.प" से भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 8) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय भेषजी परिषद् अभिप्रेत है;

(थ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमो द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(द) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने के लिए तत्समय प्रवृत किसी भी विधि द्वारा या अधीन स्थापित या गठित कोई निकाय जैसे वि.अ.आ., अ.भा.त. शि.प., रा.अ.शि.प., भा.आ.प., भा.भे.प., रा.नि.प्र.प., भा.कृ.अ.प., दू.शि.प., वै.औ.अ.प. आदि अभिप्रेत है और इसमें राज्य सरकार सम्मिलित है;

(ध) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत है;

(न) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;

(प) "प्रायोजक निकाय" से ग्लोबल हैल्थ रिसर्च एण्ड मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट, उदयपुर, जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रार, सोसाइटीज, उदयपुर के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण सं. 27/उदयपुर/2001–1, दिनांक 30.05.2000 पर रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है, अभिप्रेत है;

(फ) "परिनियम", "आडिनेन्स" और "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ब) "विश्वविद्यालय का छात्र" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए, जिसमें अनुसंधान उपाधि सम्मिलित हैं, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित हो;

(भ) "अध्ययन केन्द्र" से दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में सलाह देने, परामर्श करने या छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और संधारित या मान्यताप्राप्त कोई केन्द्र अभिप्रेत है;

(म) "अध्यापक" से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(य) "वि.अ.आ."से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं.3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है; और

(यक)"विश्वविद्यालय" से साई तिरुपति विश्वविद्यालय, उदयपुर अभिप्रेत है।

3. निगमन.– (1) विश्वविद्यालय के प्रथम चेयरपर्सन और प्रथम प्रेसीडेन्ट और प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्तियों, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, से इसके द्वारा साई तिरुपति विश्वविद्यालय, उदयपुर के नाम से एक निगमित निकाय गठित किया जाता है।

(2) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट जंगम और स्थावर संपत्ति विश्वविद्यालय में निहित की जायेगी और प्रायोजक निकाय इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पश्चात् ऐसा निहित करने के लिए कदम उठायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय ग्राम उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राजस्थान) में अवस्थित होगा और वहीं उसका मुख्यालय होगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.– विश्वविद्यालय के उद्देश्य अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में और ऐसी अन्य शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, समय–समय पर अवधारित करे, अनुसंधान और अध्ययन हाथ में लेने तथा उक्त शाखाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने और ज्ञान का प्रसार करने के हैं।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.– विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(क) अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में शिक्षण का उपबंध करना और अनुसंधान और ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिए उपबंध करना;

(ख) ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों को परीक्षाओं, मूल्यांकन या किसी भी अन्य रीति से परीक्षण के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र देना और उपाधियां या अन्य शैक्षणिक उपाधियां प्रदान करना, और ठोस और पर्याप्त कारण से किन्हीं भी ऐसे डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य शैक्षणिक उपाधियों को वापस लेना;

(ग) निवेश बाह्य अध्ययन और विस्तार सेवा आयोजित करना और हाथ में लेना;

(घ) विहित रीति से मानद उपाधियां या अन्य उपाधियां प्रदान करना;

(ङ) पत्राचार सहित शिक्षण और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम, जो अवधारित किये जायें, का उपबंध करना;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(छ) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों को सृजित करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(ज) स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत विनिर्दिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(झ) किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकारी या संस्था के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए सहकार करना, सहयोग करना या सहयुक्त करना, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(ञ) अध्ययन केन्द्र स्थापित करना, और अनुसंधान और शिक्षण के लिए विद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों का संधारण करना, जो . विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं;

(ट) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(ठ) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थापना करना और उनका संधारण करना;

(ड) अनुसंधान और परामर्श के लिए उपबंध करना, और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थानों या निकायों के साथ ऐसे समझौते करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ढ) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई भी अन्य रीति सम्मिलित हो सकेगी;

(ण) फीसों और अन्य प्रभारों की मांग करना और संदाय प्राप्त करना;

(त) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण कारना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना;

(थ) छात्राओं के संबंध में ऐसी विशेष व्यवस्थाएं करना जिन्हें विश्वविद्यालय वांछनीय समझे

(द) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन का विनियमन और प्रवर्तन करना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाये;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के उन्नयन के लिए व्यवस्था करना;

(न) दान प्राप्त करना और किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन करना, धारण करना, प्रबंध करना और व्ययन करना;

(प) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए, प्रायोजक निकाय के अनुमोदन से धन उधार लेना;

(फ) प्रायोजक निकाय के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति को बंधक या आडमान रखना;

(ब) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;

(भ) यह सुनिश्चित करना कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों इत्यादि का स्तर उससे कम नहीं हो जो अ.भा.त.शि.प., रा.अ.शि.प., वि.अ.आ., भा.आ.प., भा.भे.प. और शिक्षा के विनियमन के लिए तत्समय प्रवृत्त

किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित वैसे ही अन्य निकायों द्वारा अधिकथित किये गये हों;

(म) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य के भीतर निवेशं बाह्य केन्द्र स्थापित करना; और

(य) ऐसे सभी कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के सभी उद्देश्यों या उनमें से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

6. विश्वविद्यालय का स्व–वित्तपोषित होना.– विश्वविद्यालय स्व वित्तपोषित होगा और राज्य सरकार से, कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

7. संबद्ध करने की शक्ति का न होना.– विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था को संबद्ध करने या अन्यथा अपने विशेषाधिकार देने की शक्ति नहीं होगी।

8. विन्यास निधि.– (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र एक करोड़ रुपये की रकम से, जो प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य सरकार को जमा करवा दी गयी है, विन्यास निधि स्थापित की जायेगी।

(2) विन्यास निधि का प्रतिभूति निक्षेप के रूप में उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करता है और इस अधिनियम, परिनियमों और आर्डिनेंसों के उपबंधों के अनुसार कार्य करता है। यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार को सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसका भाग विहित रीति से समपहृत करने की शक्ति होगी।

(3) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोजन विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जा सकेगा किन्तु उसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जायेगा।

(4) विन्यास निधि की रकम, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी या प्रत्याभूतं दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में विश्वविद्यालय के नाम से विनिहित की जायेगी और विश्वविद्यालय के विघटन तक विनिहित रखी जायेगी या सरकारी खजाने में ब्याज वाले प्रायोजक निकाय के व्यक्तिगत जमा लेखा में जमा की जायेगी और विश्वविद्यालय के विघटन तक जमा रखी जायेगी।

(5) दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में विनिधान के मामले में, प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र राज्य सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे और सरकारी खजाने में ब्याज वाले व्यक्तिगत जमा लेखा में जमा के मामले में जमा इस शर्त पर की जायेगी कि रकम राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना नहीं निकाली जायेगी।

9. साधारण निधि.– विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जिसे साधारण निधि कहा जायेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जायेगा, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों के अनुसरण में दी गयी परामर्शी सेवा और किये गये अन्य कार्य से प्राप्त आय;

(घ) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान;

और

(ड.) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां।

10. साधारण निधि का उपयोजन.– साधारण निधि का उपयोजन, विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित सभी आवर्ती या अनावर्ती व्ययों को पूरा करने में किया जायेगाः

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबंध बोर्ड द्वारा नियत की जायें, के बाहर, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जायेगाः

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.– विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:–

(i) चेयरपर्सन;

(ii) प्रेसीडेन्ट;

(iii) प्रति प्रेसीडेन्ट;

(iv) प्रोवोस्ट;

(v) कुलानुशासक;

(vi) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(vii) कुल–सचिव;

(viii) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और

(ix) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

12. चेयरपर्सन.– (1) चेयरपर्सन, राज्य सरकार की सहमति से प्रायोजक निकाय द्वारा, उसके पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया जायेगाः

परन्तु चेयरपर्सन, उसकी पदावधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) चेयरपर्सन के पद को कोई रिक्ति, ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास के भीतर–भीतर भरी जायेगी।

(3) चेयरपर्सन, उसके पदाभिधान से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(4) चेयरपर्सन, यदि उपस्थित हो, प्रबंध बोर्ड की बैठकों की, और उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की, अध्यक्षता करेगा।

(5) चेयरपर्सन की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्ः–

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में किसी भी सूचना या अभिलेख की अपेक्षा करना;

(ख) प्रेसीडेन्ट नियुक्त करना;

(ग) धारा–13 की उप–धारा(8) के उपबंधों के अनुसार प्रेसीडेन्ट को हटाना; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विहित कीजायें।

***13. प्रेसीडेन्ट.**–(1)प्रेसीडेन्ट की नियुक्ति प्रबंध बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये कम से कम तीन और पांच से अनधिक व्यक्तियों के एक पैनल में से चेयरपर्सन द्वारा की जायेगी।

(2) कोई भी व्यक्ति प्रेसीडेन्ट के रूप में नियुक्ति का पात्र नही होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नही है।

(3) प्रेसीडेन्ट की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगीः

परन्तु वही व्यक्ति पुनर्नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु यह और कि प्रेसीडेन्ट उसके पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारित करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती पद ग्रहण नही, कर लेता हैं

(4) प्रेसीडेन्ट के चयन के प्रयोजन के लिए, प्रबंध बोर्ड किसी लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगा और प्रेसीडेन्ट के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, प्रबंध बोर्ड, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन, और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगा और अपने निष्कर्षो को लेखबद्ध करेगा और उन्हें चेयरपर्सन को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ रखेगा।

(5) प्रेसीडेन्ट के पद की कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास के भीतर–भीतर भरी जायेगी।

*** राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 के तहत संशोधित**

(6) प्रेसीडेन्ट, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापो का साधारण अधीक्षण और नियंत्रण करेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा।

(7) प्रेसीडेन्ट, चेयरपर्सन की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(8) यदि, प्रेसीडेन्ट की राय में किसी भी ऐसे मामले में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी भी अन्य प्राधिकरी को प्रदत्त की गयी है तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होताः

परन्तु यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्रवाई प्रेसीडेन्ट द्वारा नही की जानी चाहिए थी तो ऐसा मामला चेयरपर्सन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगाः

परन्तु यह और कि जहां प्रेसीडेन्ट द्वारा की गयी ऐसी कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करती है तो ऐसा व्यक्ति, उसे संसूचित ऐसी कार्रवाही की तारीख से तीन मास के भीतर–भीतर प्रबंध बोर्ड को अपील करने का हकदार होगा और प्रबंध बोर्ड, प्रेसीडेन्ट द्वारा की गयी कार्रवाई को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा।

(9) यदि, प्रेसीडेन्ट की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई भी विनिश्चय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह संबंधित प्राधिकारी को उसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर–भीतर विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकेगा और यदि ऐसा प्राधिकारी ऐसे विनिश्चय का पुनरीक्षण करने से इंकार करता है या विफल रहता है तों ऐसा मामला चेयरपर्सन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(10) प्रेसीडेन्ट ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसी अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या आर्डिनेंसों द्वारा विहित किये जाये।

(11) यदि चेयरपर्सन का, उसको किये गये किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा की गयी या करवायी गयी जांच पर यह समाधान हो जाये कि प्रेसीडेन्ट का उसके पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है या उस स्थिति में ऐसा अपेक्षित हो तो वह लिखित आदेश द्वारा, उसमें ऐसा करने के कारणों को वर्णित करतें हुए, प्रेसीडेन्ट से ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, उसका पद छोड़ने के लिए कह सकेगा:

14. प्रति–प्रेसीडेन्ट.– (1) प्रति–प्रेसीडेन्ट की नियुक्ति चेयरपर्सन द्वारा प्रेसीडेन्ट के परामर्श से की जायेगी।

(2) प्रति–प्रेसीडेन्ट तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेगा और दूसरी प्रदावधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) प्रति–प्रेसीडेन्ट की सेवा की शर्ते ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(4) यदि चेयरपर्सन का, उसको किये गये किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा की गयी या करवायी गयी जांच पर यह समाधान हो जाये कि प्रति–प्रेसीडेन्ट का उसके पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है या उस स्थिति में ऐसा अपेक्षित हो तो वह लिखित आदेश द्वारा, उसमें ऐसा करने के कारणों को वर्णित करते हुए,प्रति–प्रेसीडेन्ट से ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, उसका पद छोड़ने के लिए कह सकेगा।

परन्तु इस उप–धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने के पूर्व प्रति प्रेसीडेन्ट को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

(5) प्रति–प्रेसीडेन्ट, ऐसे मामलों में, जो प्रेसीडेन्ट द्वारा उसे समय–समय पर समनुदेशित किये जायें, प्रेसीडेन्ट की सहायता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो प्रेसीडेन्ट द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जायें।

15. प्रोवोस्ट.– (1) प्रोवोस्ट की नियुक्ति प्रेसीडेन्ट द्वारा ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) प्रोवोस्ट विश्वविद्यालय में अनुशासन को सुनिश्चित करेगा और अध्यापकों और कर्मचारियों के विभिन्न संघों को विश्वविद्यालय की विभिन्न नीतियों और पद्धतियों के बारे में सूचित करेगा।

(3) प्रोवोस्ट ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

16. कुलानुशासक.– (1) कुलानुशासक की नियुक्ति प्रेसीडेन्ट द्वारा ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) कुलानुशासक छात्रों में अनुशासन बनाये रखने और विभिन्न छात्र संघों को विश्वविद्यालय की विभिन्न नीतियों और पद्धतियों के बारे में सूचित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) कुलानुशासक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

17. संकाय का संकायाध्यक्ष.– (1) प्रत्येक संकाय के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा जो प्रेसीडेन्ट द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) संकायाध्यक्ष, प्रेसीडेन्ट के परामर्श से, जब कभी भी अपेक्षित हो, संकाय की बैठक बुलायेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा। वह संकाय की नीतियां और विकास कार्यक्रम बनायेगा और उन्हें समुचित प्राधिकारियों को उनके विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

(3) संकाय का संकायाध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

18. कुल–सचिव.– (1) कुल–सचिव की नियुक्ति 'चेयरपर्सन' द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) विश्वविद्यालय की ओर से कुल–सचिव द्वारा सभी संविदाएं हस्ताक्षरित और सभी दस्तावेज तथा अभिलेख अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

(3) कुल–सचिव प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् का सदस्य–सचिव होगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) कुल–सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें। .

19. मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी.– (1) प्रेसीडेन्ट द्वारा मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

20. अन्य अधिकारी.– (1) विश्वविद्यालय इतने अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जितने उसके कृत्यकरण के लिए आवश्यक हो।

(2) ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.– विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:–

(i) प्रबंध बोर्ड;

(ii) विद्या परिषद्;

(iii) संकाय; और

(iv) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

22. प्रबंध बोर्ड.–(1) विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:–

(क) चेयरपर्सन;

(ख) प्रेसीडेन्ट;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्देशित पांच व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् या अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं के विशेषज्ञ होंगे;

(घ) चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्देशित, विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंध या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;

(ङ) चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्देशित एक वित्त विशेषज्ञ;

(च) आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा या उसका नामनिर्देशिती, जो उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो; और

(छ) प्रेसीडेन्ट द्वारा नामनिर्देशित दो अध्यापक।

(2) प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा। विश्वविद्यालय की समस्त जंगम और स्थावर संपत्ति प्रबंध बोर्ड में निहित होगी। उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थातः–

(क) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों द्वारा उपबंधित हैं, साधारण अधीक्षण और निदेशन का उपबंध करना और विश्वविद्यालय के कार्यकरण पर नियंत्रण करना;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों द्वारा किये गये विनिश्चयों का उस दशा में पुनरीक्षण करना जब वे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों के अनुरूप न हों;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब सभी प्रयासों के बावजूद विश्वविद्यालय का सहज कृत्यकरण संभव न हो; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(3) प्रबंध बोर्ड की किसी कलैंडर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(4) प्रबंध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी।

23. विद्या परिषद.– (1) विद्या परिषद् में प्रेसीडेन्ट और इलने अन्य सदस्य होंगे जितने परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) प्रेसीडेन्ट विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा।

(3) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों, विनियमों, परिनियमों या आर्डिनेंसों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों में समन्वय रखेगी और उन पर साधारण अधीक्षण का प्रयोग करेगी।

(4) विद्या परिषद् की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये। .

24. अन्य प्राधिकारी.– विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

25. प्राधिकारी की सदस्यता के लिए निरर्हता.– कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किन्हीं भी प्राधिकारियों का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह –

(क) विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है;

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है;

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है;

(घ) प्राइवेट कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लग रहा है; या

(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावादेने के लिए दण्डित किया गया है।

26. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.– विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण से अविधिमान्य नहीं होगी।

27. आपात रिक्तियों का भरा जाना.– किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या उसे हटाये जाने के कारण या जिस हैसियत से उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया था उसमें परिवर्तन होने के कारण विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की सदस्यता में हुई कोई भी रिक्तियां यथासंभव शीघ्र ऐसे व्यक्ति या ऐसे निकाय द्वारा भरी जायेंगी जिसने ऐसे सदस्य को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया थाः

परन्तु किसी आपात रिक्ति के आधार पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे सदस्य की, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, केवल शेष अवधि के लिए ऐसे प्राधिकारी का सदस्य रहेगा।

28. समिति.– विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी ऐसे निर्देश निबंधनों सहित इतनी समितियां गठित कर सकेंगे जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों। ऐसी समितियों का गठन और उनके कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

29. परिनियम.–(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कृत्य, जो समय–समय पर गठित किये जायें;

(ख) प्रेसीडेन्ट की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें और उसकी शक्तियां और कृत्य;

(ग) कुल–सचिव और मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और निबंधन तथा शर्तें और उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) वह रीति जिससे और ऐसी कालावधि जिसके लिए प्रोवोस्ट और कुलानुशासक नियुक्त किये जायेंगे और उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ङ) वह रीति जिससे संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा और उसकी शक्तियां और कृत्य;

(च) अन्य अधिकारियों और अध्यापकों की नियुक्ति की रीति और निबंधन तथा शर्तें और उनकी शक्तियां और कृत्य;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें और उनके कृत्य;

(ज) अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया;

(झ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ञ) छात्रों को अध्यापन फीस के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबंध में उपबंध;

(ट) स्थानों के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबंधित उपबंध;

(ठ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से संबंधित उपबंध;

(ड) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या से संबंधित उपबंध;

(ढ) विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारियों का सृजन;

(ण) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(त) नये विभागों का सृजन और विद्यमान विभागों का समापनया पुनःसंरचना;

(थ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(द) पदों के सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;

(ध) फीस का पुनरीक्षण;

(न) विभिन्न पाठ्य विवरणों. में स्थानों की संख्या का परिवर्तन; और

(प) समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विहित किये जाने अपेक्षित हैं या विहित किये जायें।

(2) विश्वविद्यालय के परिनियम प्रबंध बोर्ड द्वारा बनाये जायेंगे और राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे।

(3) राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये परिनियमों पर विचार करेगी और ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हों, सहित, जो आवश्यक समझे, उनकी प्राप्ति की तारिख से दो माह के भीतर उनका अनुमोदन करेगी।

(4) विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित परिनियमों पर अपनी सहमति से संसूचित करेगा और यदि वह उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये किन्ही भी या समस्त उपांतरणो को प्रभावी करने का इच्छुक नही है तो वह उसके लिए कारण दे सकेगा और ऐसे कारणों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

(5) राज्य सरकार उसके द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित परिनियमों को राजपत्र में प्रकाशित करेगी और तत्पश्चात् परिनियम ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

30. आर्डिनेन्स.– (1) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी मामलों के संबंध में उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं और उनके प्रदान किये जाने और अभिप्राप्त किये जाने के संबंध में किये जाने वाले उपाय;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किये जाने की शर्तें;

(ड) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्यों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन;

(च) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में उपबंध;

(झ) ऐसे किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य जो विश्वविद्यालय के शैक्षिक जीवन में सुधार करने के लिए आवश्यक समझा जाये;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग को रीति; और

(ट) समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंधित किये जाने अपेक्षित हों।

(2) विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्स विद्या परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे जिन्हें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उप–धारा (2) के अधीन प्रस्तुत आर्डिनेन्सों पर राज्य सरकार, उनकी प्राप्ति की तारीख ..से दो मास के भीतर–भीतर विचार करेगी और या तो उन्हें अनुमोदित करेगी या उनमें उपान्तरण के लिए सुझाव देगी।

(4) विद्या परिषद्, या तो राज्य सरकार के सुझावों को सम्मिलित करते हुए आर्डिनेन्सों को उपान्तरित करेगी या राज्य सरकार द्वारा दिये गये किन्हीं भी सुझावों को

सम्मिलित न करने के कारण देगी और ऐसे कारण, यदि कोई हों, के साथ आर्डिनेन्स राज्य सरकार को वापस भेजेगी और उनकी प्राप्ति पर राज्य सरकार विद्या परिषद् की टिप्पणियों पर विचार करेगी और विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगी।

31. विनियम.– विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, अपने स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत विनियम बना सकेंगे।

32. प्रवेश.– (1) विश्वविद्यालय में प्रवेश सर्वथा योग्यता के आधार पर किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और सह–पाठ्यचर्या और पाठ्येतर क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समान पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य की किसी एजेन्सी द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी;

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आरक्षण, राज्य सरकार की नीति के अनुसार होगा।

33. फीस संरचना.– (1) विश्वविद्यालय समय–समय पर अपनी फीस संरचना तैयार करेगा और उसे इस प्रयोजन के लिए गठित समिति के अनुमोदन के लिए भेजेगा।

(2) समिति विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी फीस सरचना पर विचार करेगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित फीस –

(क) निम्नलिखित के लिए, अर्थात्–

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए स्रोत जुटाने के लिए; और

(ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए, पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है, तो वह फीस संरचना का अनुमोदन कर सकेंगी।

(3) उप–धारा (2) के अधीन समिति द्वारा अनुमोदित फीस संरचना तीन वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी और विश्वविद्यालय ऐसी फीस संरचना के अनुसार फीस प्रभारित करने का हकदार होगा।

(4) विश्वविद्यालय ऐसी फीस से भिन्न, जिसके लिए वह उप धारा (3) के अधीन हकदार है, किसी भी नाम से कोई फीस प्रभारित नहीं करेगा।

34. परीक्षाएं.– प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ पर और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की 30 अगस्त तक न कि उसके पश्चात विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षाओं को अनुसूची तैयार और प्रकाशित करेगा और उस अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा।

स्पष्टीकरण–"परीक्षाओं की अनुसूची" से प्रत्येक प्रश्न पत्र, जो परीक्षा स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ के समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें प्रायोगिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगाः

परन्तु किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से यदि.. विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ रहा हो तो वह यथासंभव एक रिपोर्ट, उसमें प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के कारण सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी करेगी जो वह अनुसूची के अनुपालन के लिए उचित समझे।

35. परिणामों की घोषणा.– (1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा उस विशिष्ट पाठ्यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर–भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में ऐसे परिणाम ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर–भीतर घोषित करेगा;

परन्तु किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय उपर्युक्त पैंतालीस दिन की कालावधि के भीतर–भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है तो विश्वविद्यालय एक रिपोर्ट, उसमें विलम्ब के कारण सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी करेगी जो वह उचित समझे।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा के परिणाम केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराये जायेंगे कि विश्वविद्यालय ने धारा 34 या, यथास्थिति, इस धारा में यथा–नियत समय अनुसूची का पालन नहीं किया है।

36. दीक्षांत समारोह.– विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति से आयोजित किया जायेगा।

37. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.– विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (रा.नि.प्र.प.) के मानकों के अनुरूप रा.नि.प्र.प. से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और राज्य सरकार और ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाये गये पाठ्यक्रमों से संबद्ध हैं, रा.नि.प्र.प. द्वारा विश्वविद्यालय को दिये ग्रेड के बारे में सूचित करेगा। विश्वविद्यालय रा.नि.प्र.प. के मानकों के अनुरूप समय–समय पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवायेगा।

38. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का पालन किया जाना.– इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होमा और ऐसे निकायों को ऐसी सभी सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करायेगा जिनकी उनके द्वारा उनके कृत्यों का निर्वहन और उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षा की जाये।

39. वार्षिक रिपोर्ट.– (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जायेगी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम सम्मिलित होंगे और उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी।

40. वार्षिक लेखे और संपरीक्षा.– (1) विश्वविद्यालय के तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखे प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किये जायेंगे।

(2) संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की एक प्रति प्रबंध बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) प्रबंध बोर्ड के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) उप–धारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक लेखे और तुलनपत्र की प्रतियां राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेंगी। विश्वविद्यालय के लेखों और संपरीक्षा रिपोर्ट से उद्भूत राज्य सरकार की राय, यदि कोई हो, प्रबंध बोर्ड के समक्ष रखी जायेगी। प्रबंध बोर्ड ऐसे निदेश जारी करेगा जो वह उचित समझे और अनुपालन के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट की जायेगी।

41. राज्य सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां.– (1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी अन्य विषय से संबंधित स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिन्हें वह उचित समझे, निरीक्षण करवा सकेगी।

(2) राज्य सरकार सुधार कार्रवाई के लिए ऐसे निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशों से विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी। विश्वविद्यालय ऐसे सुधार उपाय अपनायेगा और सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बारे में प्रयास करेगा।

(3) यदि विश्वविद्यालय उप–धारा (2) के अधीन की गयी सिफारिशों का अनुपालन युक्तियुक्त समय के भीतर–भीतर करने में विफल रहा है तो राज्य सरकार ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह ऐसे अनुपालन के लिए उचित समझे।

42. राज्य सरकार की सूचना की अपेक्षा करने की शक्तियां.– (1) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय से उसके कार्यकरण, कृत्यों, उपलब्धियों, अध्यापन के स्तर, परीक्षा और अनुसंधान या ऐसे किन्हीं भी अन्य मामलों के संबंध में, जो वह विश्वविद्यालय की दक्षता के निर्णयन के लिए आवश्यक समझे, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर, जो नियमों द्वारा विहित किया जाये, सूचना की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा उप–धारा (1) के अधीन यथा–अपेक्षित सूचना विहित समय के भीतर भिजवाने के लिए आबद्ध होगा।

43. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन.– (1) प्रायोजक निकाय, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को विहित रीति से इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम रूप से नोटिस देकर विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा;

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन राज्य सरकार के अनुमोदन और नियमित पाठ्यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने और उन्हें उपाधियां, डिप्लोमे या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किये जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगे।

44. कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियां.– (1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेन्सों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये किन्हीं भी निदेशों का अतिक्रमण किया है या उसके द्वारा राज्य सरकार को दिये गये किन्हीं भी परिवचनों का पालन करना बंद कर दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है तो वह विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए इस बारे में नोटिस जारी करेगी कि उसके परिसमापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(2) यदि उप–धारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस पर विश्वविद्यालय का जवाब प्राप्त होने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या आर्डिनेन्सों के किन्हीं भी उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये निदेश के अतिक्रमण का, या उसके द्वारा दिये गये परिवचनों का पालन बंद करने का या वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्ट्या मामला है तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी जो वह आवश्यक समझे।

(3) राज्य सरकार, उप–धारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए किन्हीं भी अभिकथनों की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी जांच अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

(4) उप–धारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों को वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय निहित होती हैं, अर्थात्:–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री जो साक्ष्य में पोषणीय हो, के प्रकटीकरण और उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

(6) उप–धारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेन्सों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लघंन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किहीं भी निदेशों का अतिक्रमण किया है या उसके द्वारा दिये गये परिवचनों का पालन करना बंद कर दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है तो वह विश्वविद्यालय के परिसमापन के आदेश करेगी और एक प्रशासक नियुक्त करेगी और तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के प्राधिकारी और अधिकारी उस प्रशासक के आदेश और निदेश के अध्यधीन होंगे।

(7) उप–धारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन प्रबंध बोर्ड की समस्त शक्तियां होंगी और वह प्रबंध बोर्ड के समस्त कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का तब तक प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूर्ण न कर ले और उन्हें उपाधियां, डिप्लोमे या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान न कर दिये जायें।

(8) नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों के अंतिम बैचों को उपाधियां, डिप्लोमे या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किये जाने के पश्चात् प्रशासक इस प्रभाव की एक रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा।

(9) उप–धारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राति पर राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जायेगा और विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और दायित्व ऐसी तारीख से प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगे।

45. नियम बनाने की शक्ति.– (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान–मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

46. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.– (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों;

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

47. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.– इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, आर्डिनेन्सों के उपबंध, उन मामलों के संबंध में जिनके बारे में राज्य विधान–मण्डल को विधि बनाने की अनन्य शक्ति है, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी प्रभावी होंगे।

अनुसूची 1
अवसंरचना

1. भूमि : ग्राम उमरड़ा, तहसील गिर्या, जिला उदयपुर, राजस्थान के खसरा सं. 7941, 7946, 7947, 7948, 7949, 7950. 7953, 7954 और 7806/3 में समाविष्ट 31.67 एकड़ भूमि।

2. भवन :

(i) प्रशासनिक खण्ड :

(क) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग :

इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की संख्या
चेयरपर्सन का कार्यालय	01
प्रेसीडेन्ट का कार्यालय	01
रजिस्ट्रार का कायोलय	01
उप–रजिस्ट्रार के कार्यालय	02
सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय	02
मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी के कायोलय	02
प्रशासनिक कार्यालय	02
संकायाध्यक्ष का कार्यालय	01
परीक्षा नियंत्रक का कायोलय	01
परीक्षा अनुभाग	01
काउन्सिल कक्ष	01
बोर्ड कक्ष	01
कुल	16

(ख) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप : 1,726.81 वर्ग मीटर

(ii) शैक्षणिक खण्ड :

(क) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग :

इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की संख्या
व्याख्यान थियेटर	03
पुस्तकालय और विभागीय पुस्तकालय	04
श्रव्य दृश्य कक्ष	01
परीक्षा हाल	01
प्रदर्शन कक्ष	10
प्रयोगशालाएं	10

अनुसंधान प्रयोगशालाएं	05
संग्रहालय	05
विद्यार्थी कामन कक्ष (छात्र और छात्रा)	02
संकाय केबिन	32
शिक्षण अस्पताल	01
कैफेटेरिया	01
कुल	75

(ख) कुल आच्छादित क्षेत्र का मापः 85,667.85 वर्ग मीटर

(ii) निवासीय खण्ड :

(क) अध्यापकों/अधिकारियों के निवास :

(i) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग :

इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की संख्या
रेजिडेन्ट छात्र छात्रावास	29
रेजिडेन्ट छात्रा छात्रावास	25
नर्सों के छात्रावास	36
अध्यापन कर्मचारिवृन्द छात्रावास	20
गैर–अध्यापन कर्मचारिवृन्द छात्रावास	24
अतिथि गृह	02
कुल	136

(ii) कुल आच्छादित क्षेत्र का मापः 28,517,97 वर्ग मीटर

(ख) विद्यार्थियों के निवास :

(i) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग :

इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की संख्या
छात्रा छात्रावास (दो व्यक्तियों द्वारा साझा किये जाने योग्य)	37
छात्र छात्रावास (दो व्यक्तियों द्वारा साझा किये जाने योग्य)	37
कुल	74

(ii) कुल आच्छादित क्षेत्र का मापः 5.376.67 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्रः 1,21,289.30 वर्ग मीटर

3. संकाय :

आचार्य	17
सह आचार्य	04
सहायक आचार्य	25
ट्यूटर/प्रदर्शक	20
कुल	66

4. शैक्षणिक सुविधाएं ;

(i) पुस्तकालय ;

शाखा	पुस्तकें	शीर्षक
चिकित्सा स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक (एम.बी.बी.एस.)	3,636	1,539

(ii) प्रयोगशालाएं :

प्रयोगशालाओं का नाम	इकाइयों की संख्या
कम्प्यूटर प्रयोगशाला	01
जैव रसायन प्रयोगशाला	01
शरीर रचना विज्ञान प्रयोगशाला एवं विच्छेदन कक्ष	01
भेषज गुण विज्ञान प्रयोगशाला	01
रोग विज्ञान प्रयोगशाला	01
सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला	01
न्याय आयुर्विज्ञान चिकित्सा प्रयोगशाला	01
शरीर क्रिया विज्ञान प्रयोगशाला	01
सामुदायिक चिकित्सा प्रयोगशाला	01
केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला	01
कुल	10

(iii) वाचनालय : 3

(iv) पत्र–पत्रिकाएं :

शाखा	राष्ट्रीय	अन्तरराष्ट्रीय	कुल
चिकित्सा	14	6	20

(v) अन्य सुविधाएं :

1. आडिटोरियम
2. जलपान गृह और कैफेटेरिया
3. ई–पुस्तकालय
4. वाई–फाई परिसर

5. सह–पाठ्यचर्या क्रियाकलापों के लिए सुविधाएं :

इन्डोर सुविधाएं :

(i)कैरम

(ii) शतरंज

(iii) व्यायामशाला

(iv) टेबिल टेनिस

आइटडोर सुविधाएं :

(i) डिस्कस थ्रो

(ii) फुटबाल

(iii) जेवलिन थ्रो

(iv) वालीबॉल

अनुसूची 2

शाखाएं जिनमें विश्वविद्यालय अध्ययन और अनुसंधान का जिम्मा लेगा :

चिकित्सा

(1) स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम :

आयुर्विज्ञान स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस)

(2) स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम

(क) आयुर्विज्ञान में डाक्टर (एम.डी.)

निश्चेतन विज्ञान
शरीर रचना विज्ञान
एविएशन मेडिसिन
जैव–रसायन विज्ञान
प्रसूति विज्ञान और स्त्रीरोग विज्ञान
जैव–भौतिक विज्ञान
सामुदायिक चिकित्सा
चर्म रोग विज्ञान
न्याय आयुर्विज्ञान
सामान्य आयुर्विज्ञान
सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन
जरा–चिकित्सा विज्ञान
अस्पताल प्रशासन
स्वास्थ्य प्रशासन
प्रयोगशाला आयुर्विज्ञान
सूक्ष्म जीव विज्ञान
न्यूक्लियर आयुर्विज्ञान
नेत्ररोग विज्ञान

बाल चिकित्सा विज्ञान
रोग विज्ञान
भेषज गुण विज्ञान
शरीर क्रिया विज्ञान
शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्निवेशन
मनोरोग विज्ञान
रेडियो डायग्नोसिस
विकिरण चिकित्सा
क्षय एवं श्वास रोग
क्रीडा चिकित्सा
रक्ताधान चिकित्सा
इम्यूनोलोजी, रुधिर विज्ञान और रक्ताधान
भेषज गुण विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान
सूक्ष्म जीव विज्ञान और रोग विज्ञान
आपात चिकित्सा
संक्रामक रोग
कौटुम्बिक चिकित्सा
ट्रोपिकल चिकित्सा

(ख) मास्टर आफ सर्जरी (एम.एस.)

कान, नाक और गला विज्ञान (ई.एन.टी.)
सामान्य शल्य चिकित्सा
बाल अस्थिरोग विज्ञान

(3) अति विशिष्ट पाठ्यक्रम

(क) डाक्टरेट उपाधि – डाक्टर आफ मेडिसिन (डी.एम.)

क्लिनिकल भेषज गुण विज्ञान
क्लिनिकल रुधिर विज्ञान
श्वास चिकित्सा
न्यूरो विकिरण विज्ञान
गुर्दा रोग विज्ञान
नियोनेटोलोजी
ऑन्कोलोजी
उदर रोग विज्ञान
हृदय रोग विज्ञान
न्यूरोलोजी
रह्यूमेटोलोजी
एन्डोक्राइनोलोजी
क्लिनिकल इम्यूनोलोजी
श्वास रोग चिकित्सा एवं गहन चिकित्सा
हृदय रोग – निश्चेतना विज्ञान
रुधिर रोग विज्ञान
चिकित्सीय जेनेटिक्स
यकृत रोग विज्ञान

(ख) मैजिस्टर आफ शिरुजिए (एम.सीएच.)

हिपेटो पेनक्रीएटिक बिलियरी सर्जरी
यूरोलोजी / जिनाइटो यूरिनरी शल्य चिकित्सा
हस्त और सूक्ष्म शल्य चिकित्सा
बर्न और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा
एन्डोक्राइन शल्य चिकित्सा
वैस्क्यूलर शल्य चिकित्सा
कार्डियो थोरेसिक शल्य चिकित्सा
कार्डियो थोरेसिक एवं वेसकुलर शल्य चिकित्सा
बाल शल्य चिकित्सा
प्लास्टिक शल्य चिकित्सा
सर्जिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलोजी
सर्जिकल ओन्कोलोजी

(4) डाक्टर आफ फिलासफी पाठ्यक्रम (पीएच.डी.)

जैव रसायन विज्ञान
सूक्ष्म जीव विज्ञान
रोग विज्ञान
न्याय आयुर्विज्ञान
निश्चेतन विज्ञान
जैव–सांख्यिकी
जैव–प्रौद्योगिकी
हृदयरोग विज्ञान
सामुदायिक चिकित्सा
कार्डियो थोरेसिक एवं वैसकुलर सर्जरी
चर्मरोग और रतिजरोग विज्ञान
एण्डोक्राइनोलोजी एवं मेटाबोलिजम
कान, नाक एवं गला विज्ञान (ई.एन.टी.)
उदर और मानव पोषण इकाई
उदर और आंत शल्य चिकित्सा
अस्पताल प्रशासन
रुधिर विज्ञान
हिस्ट्रो काम्पेटिबिलिटी और इम्यूनोजेनेटिक्स
प्रयोगशाला आयुर्विज्ञान
मेडिकल ओन्कोलोजी
चिकित्सीय भौतिक विज्ञान
आयुर्विज्ञान
गुर्दारोग विज्ञान
न्यूरो शल्य चिकित्सा
न्यूरो मेग्नेटिक रिजोनेंस
न्यूक्लियर आयुर्विज्ञान
प्रसूति और स्त्रीरोग विज्ञान
नेत्र जैव रसायन विज्ञान
नेत्र सूक्ष्म जीव विज्ञान
नेत्र भेषज गुण विज्ञान
अस्थि रोग विज्ञान
बाल शल्य चिकित्सा बाल रोग विज्ञान
शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्निवेशन मनोरोग विज्ञान
रेडियो–डायग्नोसिस

विकिरण चिकित्सा
यूरोलॉजी
चिकित्सीय जैव रसायन विज्ञान

(5) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम

निश्चेतना विज्ञान में डिप्लोमा
शिशु स्वास्थ्य में डिप्लोमा
सामुदायिक चिकित्सा में डिप्लोमा
क्लिनिकल रोगविज्ञान में डिप्लोमा
चर्मरोग विज्ञान में डिप्लोमा
मधुमेह विज्ञान में डिप्लोमा
न्याय आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा
स्वास्थ्य प्रशासन में डिप्लोमा
अस्पताल प्रशासन में डिप्लोमा
स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा
जीवाणु विज्ञान में डिप्लोमा
प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान में डिप्लोमा
औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा
इम्यूनो हेमेटोलोजी और रक्ताधान में डिप्लोमा
कुष्ठ रोग में डिप्लोमा
कान, नाक एवं गला विज्ञान (ई.एन.टी.) में डिप्लोमा
रेडियो डायग्नोसिस में डिप्लोमा
विकिरण चिकित्सा में डिप्लोमा
चिकित्सीय विषाणु विज्ञान में डिप्लोमा
व्यावसायिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा
नेत्र रोग विज्ञान में डिप्लोमा
अस्थि रोग विज्ञान में डिप्लोमा
लोक स्वास्थ्य में डिप्लोमा
शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्निवेशन में डिप्लोमा
क्रीड़ा चिकित्सा में डिप्लोमा
क्षय एवं वक्ष रोग विज्ञान में डिप्लोमा
ट्रोपिकल मेडिसिन हैल्थ में डिप्लोमा
शिशुरोग विज्ञान में डिप्लोमा
एविएशन मेडिसिन में डिप्लोमा हृदय रोग विज्ञान में डिप्लोमा
आधारभूत आयुर्विज्ञान (शरीर रचना विज्ञान) में डिप्लोमा
आधारभूत आयुर्विज्ञान (शरीर क्रिया विज्ञान) में डिप्लोमा
आधारभूत आयुर्विज्ञान (भेषज गुण विज्ञान) में डिप्लोमा
मातृ एवं शिशु कल्याण में डिप्लोमा
न्याय आयुर्विज्ञान और विष विज्ञान में डिप्लोमा
मेडिकल रेडियो–डायग्नोसिस में डिप्लोमा
चिकित्सा विकिरण विज्ञान और इलेक्ट्रोलोजी में डिप्लोमा
रोग विज्ञान और जीवाणु विज्ञान में डिप्लोमा
प्लास्टिक शल्य चिकित्सा में डिप्लोमा
यूरोलोजी में डिप्लोमा
सूक्ष्मजीव विज्ञान में डिप्लोमा
औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा
मेरीन आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा
पोषण में डिप्लोमा

मनोरोग विज्ञान में डिप्लोमा

(6) अन्य पाठ्यक्रम

(क) फैलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एवं सर्जन्स (एफ.सी.पी.एस.)

आयुर्विज्ञान रोग विज्ञान
शल्य चिकित्सा
चर्मरोग विज्ञान, रतिजरोम विज्ञान और कुष्ठ रोग विज्ञान
मिडवाइफरी और स्त्रीरोग विज्ञान
नेत्र रोग विज्ञान

(ख) मास्टर आफ साइंस (एम.एससी.)

चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान
चिकित्सीय शरीर रचना विज्ञान
चिकित्सीय रोम विज्ञान
चिकित्सीय जीवाणु विज्ञान
जैव–भौतिक विज्ञान
सूक्ष्मजीव विज्ञान
शरीर रचना विज्ञान
शरीर क्रिया विज्ञान
चिकित्सीय जैव रसायन विज्ञान
रोग विज्ञान
न्याय आयुर्विज्ञान

दन्त चिकित्सा

(1) स्नातक पाठ्यक्रम

बैचलर आफ ईन्टल सर्जरी (बी.डी.एस.)

(2) स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम

(क) प्रोस्थोडोन्टिक्स

(ख) ओरथोडोन्टिक्स

(ग) पैरिओडोन्टिक्स

(घ) मुख संबंधी शल्य चिकित्सा

(ङ) मुख संबंधी चिकित्सा और विकिरण विज्ञान

(च) कंजरवेटिव दंत चिकित्सा

(छ) पीडोडोन्टिक्स

(ज) मुख संबंधी रोग विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान

(3) स्नातकोतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(क) प्रोस्थोडोन्टिक्स

(ख) ओरथोडोन्टिक्स

(ग) पैरिओडोन्टिक्स

(घ) मुख संबंधी शल्य चिकित्सा

(ङ) मुख संबंधी चिकित्सा और विकिरण विज्ञान

(च) कंजरवेटिव दंत चिकित्सा

(छ) पीडोडोन्टिक्स

(ज) मुख संबंधी रोग विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान

(4) अन्य पाठ्यक्रम

(क) दंत सामग्री

(ख) दंत स्वास्थ्य

(ग) दंत मैकेनिक

नर्सिंग

(1) स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम

(क) जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी (जी.एन.एम.)

(ख) विज्ञान स्नातक (नर्सिंग)

(ग) विज्ञान स्नातक (नर्सिंग) (पोस्ट बेसिक)

(2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

(क) मास्टर ऑफ सांइस इन मेडिकल सर्जीकल नर्सिंग।

(ख) मास्टर ऑफ सांइस इन चाइल्ड हैल्थ नर्सिंग

(ग) मास्टर ऑफ सांइस इन मैन्टल हैल्थ नर्सिंग

(घ) मास्टर ऑफ सांइस इन कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग

(ङ) मास्टर ऑफ साइस इन आस्ट्रेटिक्स एण्ड गायनोकोलोजी (मैटरनिटी) नर्सिंग

(3) अति विशिष्ट पाठ्यक्रम

(क) मास्टर आफ फिलोसफी (एम.फिल.)

(ख) डॉक्टर ऑफ फिलोसफी (पीएच.डी.)

फिजियाथैरेपी

(1) स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम

बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी (बी.पी.टी.)

(2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

(क) मास्टर ऑफ फिजियोथैरेपी आर्थोपेडिक्स

(ख) मास्टर ऑफ फिजियोथैरेपी न्यूरोलोजी

(ग) मास्टर ऑफ फिजियोथैरेपी कार्डियोथोरेसिक

सह–स्वास्थ्य

(1) स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम

(क) बैचलर आफ ओडियोलोजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलोजी

(ख) बैचलर आफ ओक्यूपेशनल थेरैपी

(ग) बैचलर आफ फिजियोथैरेपी

(घ) बैचलर आफ सांइस इन हॉस्पिटल एवं हैल्थ इन्फोरमेशन एडमिनिस्ट्रेशन

(ङ) बैचलर आफ सांइस इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलोजी

(च) बैचलर आफ साइस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलोजी

(छ) बैचलर आफ सांइस इन न्यूक्लिअर मेडिसिन टेक्नोलोजी

(ज) बैचलर आफ सांइस इन आप्टोमेट्री

(झ) बैचलर आफ सांइस इन रेस्पाइरेट्री थैरेपी

(ञ) बैचलर आफ सांइस इन कार्डियोवेस्क्यूलर टेक्नोलोजी

(ट) बैचलर आफ सांइस इन मेडिकल रेडियेशन टेक्नोलोजी

(2) स्नातकोतर पाठ्यक्रम

(क) मास्टर आफ ओडियोलोजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलोजी

(ख) मास्टर आफ ओक्यूपेशनल थैरेपी

(ग) मास्टर आफ फिजियोथैरेपी

(घ) मास्टर आफ सांइस इन हॉस्पिटल एण्ड हैल्थ इन्फोरमेशन एडमिनिस्ट्रेशन

(ङ) मास्टर आफ सांइस इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलोजी

(च) मास्टर आफ सांइस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलोजी

(छ) मास्टर आफ सांइस इन न्यूक्लिअर मेडिसिन टेक्नोलाजी

(ज) मास्टर आफ सांइस इन आप्टोमेट्री

(झ) मास्टर आफ सांइस इन रेस्पाइरेट्री थैरेपी

(ञ) मास्टर आफ सांइस इन कार्डियोवेस्क्यूलर टेक्नोलोजी

(ट) मास्टर आफ सांइस इन मेडिकल रेडियेशन टेक्नोलोजी

(3) अति विशिष्ट पाठ्यक्रम ..

मास्टर आफ फिलोसफी इन क्लिनिकल साइकोलोजी

(4) प्रमाणपत्र / डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(क) निश्चेतना तकनीशियन
(ख) नेत्र रोग विज्ञान
(ग) कान–नाक–गला (ई.एन.टी.) तकनीशियन पाठ्यक्रम
(घ) पल्मोनेरी फंक्शन टेस्ट तकनीशियन ।
(ङ) इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ (ई.सी.जी.) तकनीशियन
(च) डायलिसिस तकनीशियन में डिप्लोमा
(छ) इलेक्ट्रोइनसेफलोग्राफी (ई.ई.जी.) एण्ड क्लिनिकले न्यूरोफिजियोलोजी तकनीशियन
(ज) मेडिकल रिकार्ड्स मेनेजमेंट

जीवन विज्ञान

(1) स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम
जैव प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातक

(2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

(क) मास्टर आफ साईंस इन मेडिकल बायोटेक्नोलोजी

(ख) मास्टर आफ साईंस इन बायो–इन्फोमेटिक्स

(ग) मास्टर आफ साईंस इन मोलिक्यूलर बायोलोजी एण्ड ह्यूमन जेनेटिक्स

(3) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

जैव सूचना विज्ञान

स्वास्थ्य विज्ञान

स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम

(क) बैचलर आफ साईंस इन हैल्थ साइंसेज

(ख) प्री बैचलर आफ साइंस इन हैल्थ साईंसेज

लोक स्वास्थ्य

(1) स्नातकोतर पाठ्यक्रम

(क) मास्टर इन पब्लिक हेल्थ इन एपिडेमियोलोजी (एम.पी.एच.)

(ख) मास्टर इन सोशियल वर्क

(ग) मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन (एम.एच.ए.)

(2) प्रमाणपत्र / डिप्लोमा पाठ्यक्रम
सह चिकित्सा और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता

फार्मेसी

(1) स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम

बैचलर इन फार्मेसी (बी.फार्म.)

(2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

मास्टर इन फार्मेसी (एम. फार्म.)

(3) अति विशिष्ट पाठ्यक्रम

(क) डॉक्टर आफ फार्मेसी (फार्म.डी.)

(ख) डॉक्टर आफ फार्मेसी–फार्म.डी. (पोस्ट वेकालारेट)

(ग) डॉक्टर आफ फिलोसफी (फार्मेसी)

(4) डिप्लोमा पाठ्यक्रम

डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी. फार्म.)

होम्योपैथी

(1) स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम

होम्योपैथिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा स्नातक (बी.एच.एम.एस.). .

(2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

डॉक्टर ऑफ मेडीसिन (एम.डी.)

औषध आरगेनोन
होम्योपैथी भेषज निघंटु (अनुप्रयोग पक्ष सहित)

भैषज्य चयनिका
होम्योपैथी फार्मेसी
चिकित्सा व्यवसाय
बाल रोग विज्ञान
मनोरोग विज्ञान

(3) डिप्लोमा पाठ्यक्रम

होम्योपैथिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में डिप्लोमा (डी.एच.एम.एस.)

मनोज कुमार व्यास,
प्रमुख शासन सचिव।